F. No. 6-3/2014-Estt.
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agricultural Research & Education
.....

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated 13th June, 2014

Subject:- (i) Delegation of powers for deputation abroad in respect of ICAR/DARE personnel and
(ii) Approval/review of MoU/Work Plan of DARE/ICAR.

......

The following delegation of powers has been approved in respect of foreign deputation cases of ICAR/DARE personnel and approval/review of MoU/Work Plan of DARE/ICAR by the Competent Authority:-

Nature of deputation/work	Category of personnel in ICAR/DARE	Competent Authority for approval
(1) Participation in Seminar/Conference/ Workshop, Foreign Assignments (both long and short term), Visits under Bilateral, Multilateral Programme/Fellowships/Scholarships/Training etc.	(a) Officers of the rank of DDG or equivalent and above in ICAR/JS or equivalent and above in DARE	AM
	(b) Below the level of DDG or equivalent in ICAR/below the level of JS or equivalent in DARE	Secretary, DARE
(2) Deputations abroad under approved projects with built-in financial provisions	Institute personnel working under the project	**Director of the concerned Institute
(3) Approval/ Review of MoU of DARE		AM
(4) Approval/ Review of Work Plan of DARE		Secretary, DARE
(5) Approval/Review of MoU/Work Plan of ICAR		Secretary, DARE

** In case approval of other Departments/Ministries is required for the visit, the same will be obtained by the concerned Institute.

2. This comes into effect immediately.

(Alka Ahuja)
Under Secretary to the Govt. of India

Distribution:

1. All Directors/Project Directors of ICAR Institutes
2. All Deputy Directors General, ICAR/National Director, NAIP
3. Director (IC)/Deputy Secretary (Estt. & IC), DARE
4. All Under Secretaries in IC-Division, DARE

Copy for information to:

1. OSD to AM/PS to AM
2. Sr. PPS to Secretary, DARE & DG, ICAR/ OSD to Secretary (D) & DG, ICAR
3. PPS to Addl. Secretary (D) & Secretary, ICAR
4. PS to AS& FA, DARE.
5. Asstt. Director General (International Relations)
6. Guard File

फा०सं० [illegible] 2014–स्था०

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

.....

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक जून, 2014

विषय :– (i) भा.कृ.अ.प. / डेयर के कार्मिकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के संबंध में एवं (ii) भा.कृ.अ.प. / डेयर के समझौता ज्ञापन / कार्य योजना का अनुमोदन / समीक्षा के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन।

.....

सक्षम प्राधिकारी द्वारा भा.कृ.अ.प. / डेयर के कार्मिकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के संबंध में एवं भा.कृ.अ.प. / डेयर के समझौता ज्ञापन / कार्य योजना का अनुमोदन / समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित रूप में शक्तियों के प्रत्यायोजन को अनुमोदित किया गया है:–

प्रतिनियुक्ति / कार्य का स्वरूप	भा.कृ.अ.प. / डेयर में कार्मिकों की श्रेणी	अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी
1. संगोष्ठी / सम्मेलन / कार्यशाला, विदेशी कार्यों में सहभागिता (द्विपक्षीय / बहुपक्षीय कार्यक्रमों / शिक्षावृत्ति / छात्रवृत्ति / प्रशिक्षण आदि के तहत लंबी अवधि तथा लघु अवधि, दोनों तरह के दौरे)	(क) उप महानिदेशक स्तर के अधिकारी या भा.कृ.अ.प. में समकक्ष और उच्च स्तर के अधिकारी / डेयर में सयुक्त सचिव या समकक्ष और उच्च स्तर के अधिकारी	कृषि मंत्री
	(ख) भा.कृ.अ.प. में उप महानिदेशक से कम स्तर या समकक्ष स्तर / डेयर में सयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर या इससे कम स्तर वाले अधिकारी	सचिव, डेयर
2. उन स्वीकृत परियोजनाओं के तहत विदेश में प्रतिनियुक्ति जिनमें वित्तीय प्रावधान निहित है।	परियोजना के तहत कार्यरत संस्थान के कार्मिक	** संबंधित संस्थान के निदेशक
3. डेयर के समझौता ज्ञापन का अनुमोदन / समीक्षा		कृषि मंत्री
4. डेयर की कार्य योजना का अनुमोदन / समीक्षा		सचिव, डेयर
5. भा.कृ.अ.प. के समझौता ज्ञापन / कार्य योजना का अनुमोदन / समीक्षा		सचिव, डेयर

** ऐसे मामले में जहां दौरे के लिए दूसरे विभाग / मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित है वहां संबंधित संस्थान द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

2. यह तत्काल प्रभाव से लागू है।

(अलका आहुजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

वितरण:

1. समस्त भा.कृ.अ.प. संस्थानों के निदेशक/परियोजना निदेशक।
2. भा.कृ.अ.प. के समस्त उप–महानिदेशक/राष्ट्रीय निदेशक, एनएआईपी।
3. निदेशक (आईसी)/उप–सचिव (स्था0 एवं आईसी), डेयर।
4. आईसी प्रभाग, डेयर के सभी अवर सचिव।

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. कृषि मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी)/निजी सचिव।
2. सचिव डेयर एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. के वरि0 प्रधान निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी।
3. अपर सचिव (डी) एवं सचिव, भा.कृ.अ.प. के प्रधान निजी सचिव।
4. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, डेयर के निजी सचिव।
5. सहायक महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)।
6. गार्ड फाइल